**संख्याः-8/2193/11-5-2014-312(268)/2001**

प्रेषक,

अनिल कुमार

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0
2. समस्त जिला अधिकारी, उ0प्र0

कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 24 सितम्बर, 2014

विषय- **आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद समस्त विकास प्राधिकरण आदि तथा नगर विकास विभाग के अधीन स्थानीय निकायों के अन्तर्गत अवस्थित अचल सम्पत्तियों के अंतरण पर विभिन्न नियमों के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पत्ति के विलेखों पर संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि के वितरण की निर्धारित प्रक्रिया।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0 क0नि0-5-391/11-2008-312(268)/2001 दिनांक 07-02-2008, जिसके द्वारा अचल सम्पत्तियों के अंतरण/विलेखों के अंकित प्रतिफल/बाजार मूल्य पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की धनराशि के अलावा वसूली गयी 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि के वितरण की प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी। उक्त शासनादेश द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को अतिक्रमित करते हुये शासनादेश सं0. क0नि0-5-1149/11-2013-312(268)/2001 दिनांक 13-09-2013 के द्वारा 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि के वितरण की नवीन प्रक्रिया निर्धारित करके शासनादेश की प्रति आपको प्रेषित की गयी है, जिसमे यह व्यवस्था की गयी है कि डेडीकेटेड अरबन ट्रांसपोर्ट फन्ड हेतु बजट व्यवस्था नगर विकास विभाग के अनुदान में तथा आवास विभाग को देय धनराशि की व्यवस्था आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अनुदान में करायी जायेगी।

2. इस संबंध में शासनादेश दिनांक 13-09-2013 में दी गयी व्यवस्थानुसार अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के रूप में संग्रहीत 02 प्रतिशत धनराशि का आवंटन वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में न हो पाने के कारण उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 13-09-2013 में शासनादेश सं0 1805/11-5-2013-312(268)/2001 दिनांक 01-01-2014 के द्वारा आंशिक रूप में संशोधन करते हुए निम्नवत् व्यवस्था की गयी थीः-

''वित्तीय वर्ष 2013-14 में 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के रूप में संग्रहीत धनराशि का वितरण/भुगतान प्रत्येक जिले के सहायक महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा महानिरीक्षक निबन्धन से अनुमोदनोपरान्त शासनादेश सं0 क0नि0-5-391/11-2008-312(268)/2001 दिनांक 07-02-2008 में

http://shasanadesh.up.nic.in

उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2014-15 से उक्त धनराशि का वितरण शासनादेश सं0 क0नि0-5-1149/11-2013-312(268)/2001 दिनांक 13-09-2013 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। ''

उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 01-01-2014 की प्रति भी आपको प्रेषित की गयी है। इस प्रकार अब 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि का वितरण आवास एवं शहरी नियोजन विभाग व नगर विकास विभाग द्वारा अपने अनुदान में बजट व्यवस्था कराकर किया जाना है। उल्लेखनीय है कि उक्त हेतु इस वित्तीय वर्ष में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग तथा नगर विकास विभाग के आय-व्ययक में बजट प्राविधान भी किया गया है, किन्तु इसके वाद भी अनेक मण्डल/जनपद स्तर से संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की मांग शासन के स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग से की जा रही है, जो उचित नहीं है।

अतः अनुरोध है कि कृपया निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि की मांग हेतु पत्राचार शासन के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग तथा नगर विकास विभाग से करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

**<u>पृष्ठांकन सं0 8/2193(1)/11-5-2014 तद्दिनांक</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ0प्र0 शासन व प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस संदर्भ में अपने स्तर से दिशा निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
2. महानिरीक्षक निबन्धन उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से भी विभाग के संबंधित अधिकारियों हेतु निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय उ0प्र0 इन्दिरा भवन लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-9 उ0प्र0 सचिवालय।
6. वित्त लेखा अनुभाग-2 उ0प्र0 सचिवालय।
7. गार्ड फाइल।

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in